5 रु. Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

CANCELLED

(19)

न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय शाजापुर, जिला शाजापुर (म०प्र०)

प्रकरण क्रमांक 68/२०१२ निगरानी आवेदन R-3192-I/12

(१) राधेश्याम पिता खुशीलाल आयु ३५ साल
(२) गीताबाई पति नारायणसिंह आयु ५५ साल
(३) राजेन्द्र पिता नारायणसिंह उम्र २२ साल
(४) उर्मिलाबाई पुत्री नारायणसिंह उम्र २५ साल, समस्त जाति रघुवंशी निवासी ग्राम सुकलिया तहसील कालापीपल जिला शाजापुर

....निगरानीकर्ता/आवेदकगण

विरूद्ध

(१) मानसिंह पिता घीसीलाल आयु ४५ साल
(२) कनीराम पिता भेरूलाल उम्र ३५ साल
(३) हरनाथ उर्फ हरलाल पिता भेरूलाल उम्र ३० साल तीनों जाति बलाई निवासी ग्राम सुकलिया तहसील कालापीपल जिला शाजापुर

...अनावेदकगण

कलेक्टरेट शाजापुर
Recd
08 MAY 2012
अधीक्षक / कलेक्टर

08-05-2012

अधीक्षक
कलेक्टरेट, शाजापुर, म.प्र.

निगरानी आवेदनपत्र अंतर्गत धारा ५० म०प्र० भू-राजस्व संहिता विरूद्ध प्रकरण क्रमांक १-अ-१३/११-१२ मानसिंह आदि विरूद्ध राधेश्याम आदि में पारित आदेश दिनांक ५/०४/२०१२ जो कि माननीय नायब तहसीलदार महोदय अरनियाकलां द्वारा पारित किया गया है, से दुःखी एवं परिवेदित होकर यह निगरानी सादर प्रस्तुत है।

11/9/12

20/
5/9/2012

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निम्नानुसार निगरानी आवेदनपत्र प्रस्तुत है-

5-9-2012

D:\May

निरन्तर ... (२)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3192–एक/2012 जिला शाजापुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2–1–2018	प्रकरण का अवलोकन किया जाकर ग्राह्यता पर विचार किया गया । अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील कालापीपल जिला शाजापुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–4–2012 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा अभी अनावेदक को फसल पर जाने हेतु अंतरिम रूप से रास्ता दिया गया है । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण में अभी अंतिम आदेश पारित किया जाना है जहाँ आवेदक को अपना रखने का पूर्ण अवसर उपलब्ध है । अतः प्रथमदृष्टया यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।	
	अध्यक्ष	